न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 57 / 2025
तारीख दायरः–15.09.2025
पीठासीन अधिकारीः–विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री सुमित सेठिया पुत्र श्री कान्तिलाल सेठिया, मैसर्स नैवेद्यं रेस्टोरेन्ट, हाउसिंग बोर्ड, कलेक्ट्री रोड़ प्रतापगढ़

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 22 / 04 / 2026

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड सोया पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की [illegible] की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक [illegible].2025 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 नैवेद्यं रेस्टोरेन्ट, हाउसिंग बोर्ड कलेक्ट्री रोड़ प्रतापगढ़ पहुंचे [illegible] फ्रिज में 5 किलो सोया पनीर रखा था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner

उपस्थित था उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबार कर्ता ने अपना नाम सुमित सेठिया पुत्र श्री कान्तिलाल सेठिया होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र मांगा गया जिस पर उन्होने मौके पर प्रस्तुत किया। फ्रिज में रखे सोय पनीर पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल ले रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फ्रिज में रखे सोया पनीर में से 2 किलोग्राम (4X250)सोया पनीर वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 350 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सोया पनीर को चार प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर–बराबर मात्रा डाला एवं प्रत्येक डिब्बों में फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर डिब्बों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक बोतलो पर लेबल चिपकाये तथा बोतलो पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई–2487 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई–2487 नियमानुसार चारो नमूना जारों को नियमानुसार सील चपडी किया एवं प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया सोया पनीर का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, इस पर विक्रेता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री सुमित सेठिया को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी अभियुक्त बाद सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्व एतकरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट /2025/859 दिनांक 27.06.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट मे उपयोग मे लिया जा रहा सोया पनीर का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक [illegible] 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन [illegible] एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर 35000/- रु. अक्षरे पेतीस हजार रु. आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की [illegible] न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 22.04.2026 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2026 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

22/04/26

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2026 /   दिनांक 22.04.2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुमित सेठिया पुत्र श्री कान्तिलाल सेठिया, मैसर्स नैवेद्यं रेस्टोरेन्ट, हाउसिंग बोर्ड, कलेक्ट्री रोड़ प्रतापगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner